# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राज0)

| प्रार्थना पत्र संख्या | रजिस्ट्रेशन नं० | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15 / 10 / 2024 | 2024/17 | 13–02–2024 | 15–05–2024 |

1. EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION CO. LTD., Registered Office at- Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai-400098 AND Having Its Branch Office at A-68, Incuspaze, Sector 64, Noida, Uttar Pradesh-201301

प्रार्थी

बनाम

1. AZAD ALI S/O ALIHAK ANSARI C-2736, SUSHANT LOK-1, SECOND FLOOR, C-BLOCK, GURGAON, HARYANA-122001
   ALSO AT:- UNIT NO. D 53/SF SECOND FLOOR BLOCK-D, PIYUSH ROSETEE, ALWAR BYPASS ROAD, BHIWADI, RAJASTHAN -301019
   ALSO AT:- SAHNAVALA PO-CHAVHATA, P.S MANPUR, DISTT W. CHAMPARAN BIHAR-845438
   ALSO AT:- CORPORATE CAR AIR CONDITIONING SHOP NO. 1, SECTOR-52A OPP ARDEE CITY, WAZIRABAD, GURGAON, HARYANA-122001
2. AFREEN BEGAM W/O AZAD ALI C-2736, SUSHANT LOK-1 SECOND FLOOR, C-BLOCK, GURGAON, HARYANA-122001
   ALSO AT:-UNIT NO. D 53/SF SECOND FLOOR, BLOCK D, PIYUSH ROSETEE ALWAR BYPASS ROAD, BHIWADI, RAJASTHAN-301019
   ALSO AT:- SAHNAVALA PO- CHAVHATA, P.S. MANPUR, DISTT W. CHAMPARAN BIHAR-845438
   ALSO AT:-CORPORATE CAR AIR CONDITIONING SHOP NO. 1, SECTOR-52A OPP ARDEE CITY, WAZIRABAD, GURGAON, HARYANA-122001

अप्रार्थीयान

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002**

## —:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी, Edelweiss Asset Reconstruction Co. Ltd. की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को को 20,76,820/– रूपये का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति D-53 SECOND FLOOR BLOCK-D, PIYUSH ROSETEE, ALWAR BYPASS ROAD, BHIWADI, RAJASTHAN -301019 तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा अन्तर्गत आजाद अली पुत्र अलिहक अंसारी एवं अफ्रीन बेगम पत्नी आजाद अली, प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 12.10.2020 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को दिनाक 01.07.2018 को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति D-53 SECOND FLOOR BLOCK-D, PIYUSH ROSETEE, ALWAR BYPASS ROAD, BHIWADI, RAJASTHAN -301019 तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा

अन्तर्गत आजाद अली पुत्र अलिहक अंसारी एवं अफ्रीन बेगम पत्नी आजाद अली, का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 12.10.2020 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि बकाया **29,47,629.37/-** रूपये एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति D-53 SECOND **FLOOR BLOCK-D, PIYUSH ROSETEE, ALWAR BYPASS ROAD, BHIWADI, RAJASTHAN -301019** तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा अन्तर्गत आजाद अली पुत्र अलिहक अंसारी एवं अफ्रीन बेगम पत्नी आजाद अली, का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति **D-53 SECOND FLOOR BLOCK-D, PIYUSH ROSETEE, ALWAR BYPASS ROAD, BHIWADI, RAJASTHAN -301019** तहसील टपूकडा जिला खैरथल–तिजारा अन्तर्गत आजाद अली पुत्र अलिहक अंसारी एवं अफ्रीन बेगम पत्नी आजाद अली, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15–05–2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा